

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़ 1939 (श0) (सं0 पटना 549) पटना, वृहस्पतिवार, 29 जून 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 29 जून 2017

अधिसूचना संख्या 6/2017-राज्य कर (दर)

एस॰ ओ॰ 75 दिनांक 29 जून 2017— बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, रक्षा मंत्रालय के अधीन कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीएसडी कहा गया है) को, ऐसे व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं, जो सीएसडी कैंटीन की यूनिट रन कैंटीन या सीएसडी कैंटीन के प्राधिकृत उपभोक्ताओं के लिए ऐसे माल की पश्चातवर्ती आपूर्ति के प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा प्राप्त सभी मालों की आवक आपूर्ति पर संदत्त लागू राज्य कर के पचास प्रतिशत के प्रतिदाय के दावे को करने का हकदार होगा।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं॰सं॰-बिक्री-कर/जी एस टी/विविध-13/2017-06)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

29 जून 2017

एस०ओ० 76, एस०ओ० 75 दिनांक 29 जून 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं॰सं॰-बिक्री-कर/जी एस टी/विविध-13/2017-06)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 29th June 2017 Notification No. 06/2017-State Tax (Rate)

S.O. 75 dated 29th June 2017- In exercise of the powers conferred by section 55 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby specifies the Canteen Stores Department (hereinafter referred to as the CSD), under the Ministry of Defence, as a person who shall be entitled to claim a refund of fifty per cent. of the applicable State tax paid by it on all inward supplies of goods received by it for the purposes of subsequent supply of such goods to the Unit Run Canteens of the CSD or to the authorized customers of the CSD.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/vividh-13/2017-06)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, बिहार गजट (असाधारण)549-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in